अष्टादश बिहार विधान सभा

तृतीय सत्र

ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचना बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम–104(3) के अन्तर्गत दिनांक–21.07.2026 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
1.	श्री संजय कुमार, स०वि०स०, श्री प्रकाश चन्द्र स०वि०स०, श्री अरूण कुमार, स०वि०स०, श्री अलोक कुमार सिंह, स०वि०स०, श्री अरूण माँझी, स०वि०स०, श्री रत्नेश कुमार, स०वि०स०, श्री अमित कुमार, स०वि०स०,	सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना 2026 के नियमावली मे सभी तरह का विकास कार्य करने का प्रावधान किया गया है, लेकिन राज्य मे मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना में अति महत्वपूर्ण कई योजनाए करने हेतु शामिल नहीं किया गया है, जिससे सार्वजनिक जगहों पर सीसीटीवी कैमरा, प्रतिष्ठित सामाजिक निबंधित संस्थानों/ट्रस्टों को एम्बुलेंस एवं शव वाहन देना इत्यादि कार्य। अतः सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के नियमावली 2026 मे दिए गए प्रावधान के अनुसार ही विकास कार्यों को मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के नियमावली मे शामिल करने हेतु सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ।	योजना एवं विकास विभाग

क्र० स०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
2.	श्री रूहेल रंजन, स०वि०स०, श्री मॉशरीक मृणाल, स०वि०स०, श्री विशाल कुमार, स०वि०स०, श्री चेतन आनंद, स०वि०स०, श्री रितुराज कुमार, स०वि०स०	राज्य के सरकारी विद्यालयों में छात्र-शिक्षक अनुपात (PTR) के अनुरूप शिक्षकों की पदस्थापना नहीं होने के कारण अनेक स्थानों पर शिक्षकों का असमान वितरण देखने को मिल रहा है। परिणामस्वरूप कहीं अत्यधिक छात्र संख्या पर सीमित शिक्षक कार्यरत हैं, तो कहीं अपेक्षाकृत कम छात्र संख्या के बावजूद आवश्यकता से अधिक शिक्षक पदस्थापित हैं। इस असंतुलन के कारण गुणवत्तापूर्ण शिक्षण व्यवस्था प्रभावित हो रही है तथा उपलब्ध मानव संसाधनों का समुचित उपयोग नहीं हो पा रहा है। यह समस्या राज्य के विभिन्न जिलों के अनेक सरकारी विद्यालयों में विद्यमान है तथा शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता एवं विद्यार्थियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है। अतः मैं इस विषय पर सदन के माध्ययम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ।	शिक्षा विभाग

(पूनम सिन्हा)
प्रभारी सचिव
बिहार विधान सभा, पटना।

ज्ञाप सं०–ध्या०प्र०–20/2026 1019 /वि०स०, पटना, दिनांक– 20 जुलाई 2026 ई०।

प्रति :– माननीय सदस्यगण, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/7/26
(अमितेष रंजन)
अवर सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना।

ज्ञाप सं०–ध्या०प्र०–20/2026 1019 /वि०स०, पटना, दिनांक– 20 जुलाई.2026 ई०।

प्रति :– माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव/माननीय उप मुख्यमंत्रीगण के आप्त सचिव एवं माननीय मंत्रीगण के आप्त सचिव को क्रमशः माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्रीगण एवं मंत्रीगण के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/7/26
(अमितेष रंजन)
अवर सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना।

ज्ञाप सं०–ध्या०प्र०–20/2026 1019 /वि०स०, पटना, दिनांक–20 जुलाई..2026 ई०।

प्रति :– मुख्य सचिव, बिहार/माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव, बिहार/ सचिव, बिहार विधान परिषद्/ महाधिवक्ता, बिहार, पटना उच्च न्यायालय/संसदीय कार्य विभाग/योजना एवं विकास विभाग/शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/7/26
(अमितेष रंजन)
अवर सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना।

ज्ञाप सं०–ध्या०प्र०–20/2026 1019 /वि०स०, पटना, दिनांक– 20 जुलाई.2026 ई०।

प्रति :– माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव/माननीय उपाध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव/प्रभारी सचिव के प्रधान आप्त सचिव को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित।

20/7/26
(अमितेष रंजन)
अवर सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना।